

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

यातायात विभाग

सं : टीएम/डी/4-3/20

ऑफ 2017-18

22 सितंबर 2017

परिपत्र

अध्यक्ष,

मुंबई ऑण्ड न्हावा शेवा शिप एजंटस असोसिएशन

अध्यक्ष,

बृहन्मुंबई कस्टम ब्रोकरेस असोसिएशन

अध्यक्ष,

इंडियन मर्चट चेंबर्स

अध्यक्ष,

वॉचे चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑण्ड इंडस्ट्री

अध्यक्ष,

ऑल इंडिया इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स असोसिएशन

अध्यक्ष,

ऑल इंडिया पल्सेस ऑण्ड ग्रेन्स असोसिएशन

महोदय,

विषय :- आयात जिप्सम के भण्डारण के लिए सामान्य उपनियमों
के तहत क्षेत्रों का नामांकन

देखिए, परिपत्र सं.टीएम/डी/4-3/03 ऑफ 2017-18 दिनांक 19 | 04 | 2017, दरकम के परिच्छेद
III की धारा 3 . 3 (A)(II) के प्रावधानों के तहत आयात जिप्सम के भण्डारन के लिए एसटीपी ओपन यार्ड
स्थित 10,000 चौ .मिटर्स/अधिमापन खुला क्षेत्र अधिसुचित किया गया था ।

२ . व्यापार की माँग को दखते हुए सामान्य उपनियमों के तहत आयात जिप्सम के भण्डारण के लिए गोल्डन यार्ड
(वडाला) के खुले क्षेत्र स्थित 10,000 चौ .मि .अधिमापन खुला क्षेत्र अधिसुचित किया है ।

३ . आपसे अनुरोध है कि सुविधा पाने के लिए आपके सदस्यों के बीच इसे व्यापक प्रसिद्धि दे ।

भवदीय

यातायात पबंधक